



कार्यालय
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

57-हीरानगर, हल्द्वानी। जनपद-नैनीताल। Email-dmmhld@gmail.com, दूरभाष संख्या 05946-254351
पत्रांक- 3257 / दिनांक 11-01-2019

सेवा में,

मैसर्स अनुष्का एडवरटाईजर्स
नियर साई हास्पिटल, मुखानी-हल्द्वानी
जनपद-नैनीताल।

विषय:- विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया निम्न सूचना को डी0ए0वी0पी0 शासकीय दरों पर छूट के साथ 6x8 सेंटीमीटर के कालम में निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वन विकास निगम का जी0एस0टी0 नम्बर 05AAALU0009MOZG है।

- | | |
|--|-------------------|
| 01.दैनिक जागरण, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) | दिनांक 12-01-2019 |
| 02.हिन्दुस्तान, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) | दिनांक 12-01-2019 |
| 03.राष्ट्रीय सहारा (कुमाऊँ संस्करण) | दिनांक 12-01-2019 |

भवदीय

For [Signature] प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

प्रकाष्ठ/जड़ विक्रय हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि विक्रय प्रभाग, हल्द्वानी के अर्न्तगत हल्द्वानी डिपो संख्या-01 एवं लालकुआँ डिपो संख्या- 06 में भण्डारित क्रमशः चीड चिरान-3.8487 घनमी0 एवं कोमल काष्ठ जड़ -1545.8060 घनमी0 लगभग के विक्रय हेतु दिनांक 21-01-2019 के अपराह्न 2:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 57-हीरानगर, हल्द्वानी के पते पर निर्धारित निविदा फार्म में सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 3:00 बजे से निविदादाताओं के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी अथवा गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म, निविदा की शर्तें एवं विक्रय सूची किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित डिपोओं से प्राप्त कर सकते हैं। विक्रय सूची एवं शर्तें website:uafdc.in से भी Download की जा सकती है।
दूरभाष संख्या-हल्द्वानी (05946-254351)

• प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

पत्रांक 3257 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 01.प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
- 02.अपर प्रबन्ध निदेशक (कु0मं0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
- 03.क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
- 04.समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
- 05.समस्त डिपो अधिकारी, विक्रय प्रभाग, हल्द्वानी।
- 06.नोटिस बोर्ड।

For [Signature] प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी।

Seen

[Signature]
(DSM)

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी विक्रय प्रभाग, प्रकाष्ठ विक्रय डिपो - हल्द्वानी प्रथम

निविदा तिथि -21-01-2019

निविदा स्थल कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

क्र० सं०	लाट सं०/वर्ष	उत्पादन वर्ष	चट्टा सं०/वर्ष	प्रजाति	श्रेणी	नपत		नग	आयतन (घमी)
						लम्बाई (मी०)	मध्य घेरी(सेमी)		
प्लॉट-बी									
1	491/18-19	18-19	350	चीड चिरान	सी क्लास	305	25x13,10	9	0.9515
						305	20x13 15x13,10	8	0.5947
						185	25x13	1	0.0601
Total								18	1.6063
2	494/18-19 विकास कार्य	18-19	374	चीड चिरान	बी.सी.	305	20x13 18x13,10	26	2.0216
						305	18x18, 20x20	2	0.2208
Total								28	2.2424

नोट:- क्रेताओं से अनुरोध है कि टैक्स सम्बन्धी राशि प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, के निम्न वर्णित खाते में एवं विक्रय मूल्य से सम्बन्धित राशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खाते में जमा करायेंगे।

Bank Of Baroda. Haldwani M.D. UAFDC A/C No. 09670200000143 . IFSC CODE-BARB0HALDWA

Bank Of Baroda. Haldwani DMM. UAFDC A/C No. 09670200000144 . IFSC CODE-BARB0HALDWA

प्लॉट बी

डिपो अधिकारी
चीड डिपो प्रथम हल्द्वानी

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विक्रय प्रभाग हल्द्वानी, विक्रय सूची निविदा दि० 21-01-2019

लालकुआँ डिपो संख्या 06

क्र० सं०	लोट संख्या / वर्ष	उत्पादन वर्ष	चट्टा / संख्या वर्ष	प्रजाति / किस्म	चट्टा नपत			मात्रा आयतन (घ०मी०)
					लम्बाई (मी०)	चौड़ाई	ऊँचाई (मी०)	

प्लॉट संख्या ए

1	346/17-18	17-18	442	कोमलकाष्ठ जड़	5.25	4.60	1.40	33.8100
2	347/17-18	17-18	443	कोमलकाष्ठ जड़	4.20	3.25	1.40	19.1100
3	348/17-18	17-18	444	कोमलकाष्ठ जड़	5.00	5.00	1.4	35.0000
4	349/17-18	17-18	445	कोमलकाष्ठ जड़	6.80	6.00	1.50	61.2000
5	350/17-18	17-18	447	कोमलकाष्ठ जड़	6.00	4.80	1.40	40.3200
6	351/17-18	17-18	448	कोमलकाष्ठ जड़	6.20	4.30	1.30	34.6580
7	472/17-18	17-18	1612	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	9.60	3.40	2.40	78.3360
8	473/17-18	17-18	1613	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	7.00	4.60	2.10	67.6200
9	474/17-18	17-18	1614	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	4.00	3.75	2.10	31.5000
10	82/18-19	17-18	81, 87, 88	कोमलकाष्ठ जड़	4.00 3.40 3.75	3.40 2.55 3.00	1.00 0.90 1.20	34.9030
11	87/18-19	17-18	90, 92	कोमलकाष्ठ जड़	4.75 5.95	3.05 3.40	1.20 1.30	43.6840
12	89/18-19	17-18	94, 96, 99, 100	कोमलकाष्ठ जड़	2.60 3.60 4.00	2.50 2.25 2.70	1.00 0.80 1.00	33.1400
13	115/18-19	17-18	353	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	10.00	3.60	1.80	64.8000
14	116/18-19	17-18	354	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	9.00	7.00	1.80	113.4000
15	117/18-19	17-18	355	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	7.60	6.20	1.80	84.8160
16	118/18-19	17-18	356	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	8.00	7.00	1.70	95.2000
17	119/18-19	17-18	357	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	8.00	7.00	1.90	106.4000
18	120/18-19	17-18	359	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	6.60	5.00	1.90	62.7000
19	121/18-19	17-18	361	कोमलकाष्ठ कन्जू जड़	7.00	6.05	1.70	71.9950
20	99/18-19	17-18	332, 343	सेमल जड़	3.90 4.50	4.00 4.00	1.30 1.20	41.8800
21	100/18-19	17-18	357, 352	सेमल जड़	5.20 6.00	4.50 2.00	1.50 1.40	51.9000
22	488/17-19	17-18	1472	कोमलकाष्ठ जड़	9.70	4.80	2.40	111.7440

क्र० सं०	लॉट संख्या / वर्ष	उत्पादन वर्ष	चट्टा / संख्या वर्ष	प्रजाति / किस्म	चट्टा नपत			मात्रा आयतन (घ०मी०)
प्लॉट संख्या बी								
23	159/17-18	17-18	602, 603, 594	कोमलकाष्ठ जड़	4.35 3.20 2.80	3.25 2.95 3.05	1.20 1.40 1.55	43.4180
24	356/17-18	17-18	720	कोमलकाष्ठ जड़	6.40	3.40	1.80	39.1680
25	357/17-18	17-18	722	कोमलकाष्ठ जड़	5.20	5.45	1.80	51.0120
26	358/17-18	17-18	729, 743	कोमलकाष्ठ जड़	5.10 240	3.20 2.10	1.60 1.25	32.4120
27	167/17-18	17-18	607	कोमलकाष्ठ जड़	4.00	5.20	1.60	33.2800
28	170/17-18	17-18	641	कोमलकाष्ठ जड़	4.95	4.25	1.25	28.4006

नोट:- क्रेताओं से अनुरोध है कि टैक्स सम्बन्धी राशि प्रमाणीय विक्रय प्रबन्धक, के निम्न वर्णित खाते में एवं विक्रय मूल्य से सम्बन्धित राशि प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के खाते में जमा करायेंगे।

U.B.I. Haldwani M.D. UAFDC A/C No. 411601010023104 . IFSC CODE-UBIN0541168

U.B.I. Haldwani DSM UAFDC A/C No. 411601010014072 . IFSC CODE-UBIN0541168

डिपो अधिकारी

लालकुआँ डिपो सं० 06



कार्यालय

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

57-हीरानगर, हल्द्वानी। जनपद-नैनीताल। Email-dmmhld@gmail.com, दूरभाष संख्या 05946-254351
पत्रांक / निविदा/20-12-2018 / दिनांक

प्रकाष्ठ विक्रय हेतु अल्पकालिक निविदा सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि विक्रय प्रभाग, हल्द्वानी के अर्न्तगत हल्द्वानी डिपो संख्या-01, लालकुआँ डिपो संख्या- 01, 03, 04, 05 में भण्डारित चीड गोल-13.8385 घनमी0, शीशम गोल-17.4634 घनमी0, सागौन गोल-2.2641 घनमी0, यूकेलिप्टस लट्ठा-369.8663 घनमी0, यूकेलिप्टस टोर-3787.1105 घनमी0, यूकेलिप्टस कोर-0.6820 घनमी0, कोकाट-62.3221 घनमी0, कोमल काष्ठ-6.6820 घनमी0 लगभग के विक्रय हेतु दिनांक 20-12-2018 के अपराह्न 2:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, 57-हीरानगर, हल्द्वानी के पते पर निर्धारित निविदा फार्म में सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं, जो उसी दिन सायं 3:00 बजे से निविदादाताओं के सम्मुख अधोहस्ताक्षरी अथवा गठित समिति द्वारा खोले जायेंगे। इच्छुक निविदादाता निविदा फार्म, निविदा की शर्तें एवं विक्रय सूची किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित डिपोओं से प्राप्त कर सकते हैं। विक्रय सूची एवं शर्तें website:uafdc.in से भी Download की जा सकती हैं।

दूरभाष संख्या-हल्द्वानी (05946-254351)

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

शर्तें:-

- 1- निविदा में विक्रय हेतु प्रकाष्ठ/जड़/जलौनी के विक्रय सूची संलग्न है जिसमें यथा संभव सही दिया गया है तथा "जैसा है जहाँ है" की स्थिति में विक्रय किया जायेगा। निविदा फार्म रजिस्टर्ड डाक/कोरियर द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे। हाथोहाथ निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदायें स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 2-निविदा के साथ धरोहर धनराशि (अरनेस्ट मनी) के रूप में प्रस्तावित मूल्य का (प्रकाष्ठ हेतु 2.95%, जड़ हेतु 2.63% एवं जलौनी हेतु 2.50%) बैंक ड्राफ्ट प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नाम हल्द्वानी शाखा पर देय अधिसूचना बैंक का संलग्न किया जाना अनिवार्य है। सफल निविदादाता को डिपो अधिकारी द्वारा सूचना प्रेषित किये जाने की तिथि से सात दिन के अन्दर प्रस्तावित विक्रय मूल्य का गोल प्रकाष्ठ हेतु 8.85%, जड़ों हेतु 7.87% एवं जलौनी हेतु 7.5% जमानत धनराशि प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी के नाम देय शाखा हल्द्वानी के पदनाम से सम्बन्धित डिपो में जमा करना अनिवार्य होगा। सफलतम क्रेता द्वारा पूर्ण जमानत धनराशि जमा नहीं किये जाने की दशा में सम्बन्धित क्रेता को कालीसूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
- 3-यद्यपि लौटों की नपत विक्रय सूची में यथासम्भव सही अंकित की जाती है, तथापि क्रेता को चाहिए कि निविदा देने से पहले लौटों को भली - भाँति देख लें। यदि कोई क्रेता विक्रय सूची में दर्ज नाप में संदेह करता है और दोबारा नाप करवाना चाहता है तो वह (क्रेता) प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक को लिखित आवेदन-पत्र देगा और साथ ही लौट के मूल्य का एक प्रतिशत अथवा ₹0 100.00 जो भी अधिक हो, जमा करना होगा। यदि नपत के उपरान्त अन्तर दो प्रतिशत से अधिक पाया जाता है तो लौट की बिक्री निरस्त कर दी जायेगी। उपरोक्त अन्तर दो प्रतिशत या उससे कम पाया जाता है तो बिक्री वैध मानी जायेगी जमानत वापस नहीं की जायेगी।
- 4- लौट की बिक्री हो जाने के बाद लकड़ी के ग्रेड (गुण श्रेणी) के विषय में क्रेता की कोई शिकायत नहीं सुनी जायेगी। क्रेता श्रेणी देखकर ही निविदा दें।
- 5- अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वे किसी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है।
- 6- सफलतम निविदादाता को निविदा में प्रस्तावित लौट एवं मूल्य की स्वीकृति कोरियर के माध्यम से प्रेषित की जायेगी तथा क्रेता को स्वीकृति प्रेषण से 24 दिन (प्रेषण का दिन छोड़कर) की अवधि में लौट की अवशेष राशि, का भुगतान प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के नाम देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना

होगा तथा जी०एस०टी०, आयकर एवं मण्डी शुल्क आदि का भुगतान संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के नाम प्लॉट के माध्यम से करना होगा।

7- नकद छूट के सम्बन्ध में वर्तमान में प्रचलित विक्रय नियमों के तहत कार्यवाही होगी।

8- प्रकाष्ठ को निकासी करने की अधिकतम अवधि निविदा स्वीकृति जारी किये जाने की तिथि से (प्रेषण की तिथि छोड़कर) 45 दिन होगी। यदि क्रेता उक्त 45 दिन की अवधि तक प्रकाष्ठ की निकासी नहीं करता है तो अगले 15 दिन के लिए रू० 0.25 प्रतिशत अवशेष प्रकाष्ठ के मूल्य का प्लॉट रेंट देने के पश्चात क्रेता को निकासी दी जा सकेगी। 15 दिनों के पश्चात भी यदि क्रेता द्वारा निकासी नहीं ली जाती है तो अगले 7 दिनों के लिए संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक तथा उसके अगले 15 दिनों के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक माल की निकासी की अनुमति प्रदान कर सकते हैं और इन अतिरिक्त दिवसों हेतु प्लॉट रेंट शुल्क लौट के शेष माल का 0.50 प्रतिशत होगा। यदि क्रेता द्वारा इस निस्तारित अवधि में भी प्रकाष्ठ की निकासी नहीं ली जाती है तो:-

(अ)- क्रेता द्वारा उस लौट के लिए जमा की गयी समस्त धनराशि वन निगम के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी।

(ब)- डिपो में रखे हुए लौट के लिए समस्त वन उपज पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसे निगम क्रेता को बिना सूचना दिये चाहे नीलाम द्वारा या अन्य माध्यम से निस्तारण करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा इसके लिए क्रेता को किसी भी प्रकार के मुआवजे आदि का हकदार नहीं होगा।

9- प्रकाष्ठ की निकासी वन विभाग के अभिवहन नियमों के अधीन ही दी जायेगी।


10- उपरोक्त देयकों की अन्तिम तिथि को राजकीय अवकाश होने की दशा में मूल्य भुगतान एवं निकासी की अवधि तदनुसार बढ़ जायेगी।

11- भुगतान के संबंध में उत्तराखण्ड वन विकास निगम की छपी हुई डिपो अधिकारी/ डिपो लेखाकार की हस्ताक्षरित रसीद ही मान्य होगी।

12- क्रेता को स्वयं अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि को ही प्रकाष्ठ की निकासी दी जायेगी।

13- विकास कार्य की लौटों की समस्त धनराशि प्रभागीय विक्रय प्रबंधक खाते में जमा करनी होगी तथा इन लौटों में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं होगी।

14- सफलतम क्रेता एवं अधोहस्ताक्षरी अथवा संबंधित प्रभागीय विक्रय प्रबंधक के मध्य किसी विवाद के होने की दशा में क्षेत्रीय प्रबंधक (कु०क्ष०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी आर्बीट्रेटर होंगे। विवाद होने की दशा में प्रभावित पक्ष 10 दिन की अवधि का नोटिस दूसरे पक्ष को देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक (कु०क्ष०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी को पंच निर्णय हेतु अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्रबंधक (कु०क्ष०), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी का आर्बीट्रेटर के रूप में निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा।


(एम०सी०जोशी)

प्रभागीय विक्रय प्रबंधक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
हल्द्वानी।